न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –53/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016/00107

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

मोहम्मद शहीद आत्मज मसीउद्दीन जाति मुसलमान निवासी रामगंजमण्डी जिला कोटा
––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–
1 पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 29/10/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम गोरधनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 0.30 हे0 भूमि को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस इस आशय की तामिली रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई है कि अप्रार्थी झालावाड़ में रहता है, अप्रार्थी को नोटिस तामिल नहीं होकर अदम तामिल प्राप्त होने पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई । पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.5.2022 प्राप्त अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर भूमि अन्य उपयोग यथा रास्ता, तालाब की पाल आमजन के लिए उपयोग में आ रही है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम गोरधनपुरा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 602 की रकबा 0.30 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.5.2022 से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होकर आमजन के अन्य उपयोग में आ रही है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार

रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम गोरधनपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 602 रकबा 0.30 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई है तथा अप्रार्थी गांव में निवास नहीं कर अन्य जिले में निवास करता है तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 31.5.2022 अनुसार अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर उनके द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जा रही है अपितु आमजन के अन्यत्र उपयोग यथा रास्ता एवं तालाब की पाल के रूप में काम आ रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम गोरधनपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 602 की रकबा 0.30 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तथा आवंटित भूमि मौके पर रास्ते एवं तालाब की पाल के रूप में आमजन के उपयोग में आने से अप्रार्थी के हक में की गई कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा